5. धारा 20 का संशोधन।
6. अनुसूची-III और अनुसूची-IV का अन्तःस्थापन।
7. निरसन और व्यावृत्तियां।

2023 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह 23 अगस्त, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **धारा 3 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 में,–

(क) उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(1–क) हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) के अधीन स्थापित नगर निगमों में और इस अधिनियम की अनुसूची-III में यथा दर्शाए गए पद राज्य स्तरीय नगर निगम सेवा में समाविष्ट होंगे।''; और

(ख) उप–धारा (2) में ''अनुसूची-I'' शब्द, चिन्ह और संख्या के पश्चात् ''यथास्थिति, या अनुसूची-III'' शब्द, चिन्ह और संख्या अन्तःस्थापित की जाएगी।

3. **धारा 4 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (3) में '' अनुसूची-I'' शब्द, चिन्ह और संख्या के पश्चात् '' अनुसूची-III'' शब्द, चिन्ह और संख्या अन्तःस्थापित की जाएगी।

4. **धारा 5 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (1) में, ''अनुसूची-II'' शब्द, चिन्ह और संख्या के पश्चात् '',यथास्थिति, या अनुसूची-IV ''शब्द, चिन्ह और संख्या अन्तःस्थापित की जाएगी।

5. **धारा 20 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 20 में, ''अनुसूची-I और II'' शब्द, चिन्ह और संख्या के स्थान पर ''अनुसूची-I, II, III और IV'' शब्द, चिन्ह और संख्या रखी जाएगी।

6. **अनुसूची-III और अनुसूची-IV का अन्तःस्थापन.**––मूल अधिनियम में अनुसूची-II के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूचियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''**अनुसूची-III**

[धारा 3(1–क) देखें]

क्रम संख्या	सेवा का नाम
1	2

हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय नगर निगम सेवाएं–

1. अधिशासी अभियन्ता
2. सहायक अभियन्ता
3. प्रशासनिक अधिकारी
4. अधीक्षक ग्रेड-I
5. अधीक्षक ग्रेड-II
6. मुख्य लेखाकार
7. मुख्य सफाई निरीक्षक
8. निजी सचिव
9. निजी सहायक
10. सचिव
11. कनिष्ठ अभियन्ता
12. ड्राफ्ट्समैन
13. वरिष्ठ सहायक
14. सांख्यिकी सहायक
15. लेखाकार
16. कनिष्ठ लेखाकर
17. सफाई निरीक्षक
18. सामुदायिक आयोजक
19. आशुलिपिक
20. स्टैनो टाइपिस्ट
21. सर्वेक्षक
22. सफाई सर्वेक्षक
23. कार्य पर्यवेक्षक तकनीशियन (सर्वेक्षक) के रूप में पुनः पदाभिहित
24. कम्प्यूटर सहायक
25. चालक
26. मीटर रीडर
27. मीटर मैकेनिक
28. तकनीकी मैकेनिक
29. कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई टी)
30. कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन / सहायक ड्राफ्ट्समैन
31. लिपिक / कनिष्ठ सहायक
32. डाटा एंट्री ऑपरेटर
33. फेरो प्रिंटर
34. प्रयोगशाला तकनीशियन
35. तकनीशियन (बढ़ई, राजमिस्त्री, लोहार, इलैक्ट्रीशियन, फिटर / पलम्बर और मैकेनिक)
36. पुरुष और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
37. सिलाई अध्यापक''

अनुसूची-IV

[धारा 5(1) देखें]

क्रम संख्या	सेवा का नाम
1	2
1.	वास्तुकार योजनाकार
2.	निगम स्वास्थ्य अधिकारी / स्वास्थ्य अधिकारी
3.	नगर योजनाकार
4.	पशु चिकित्सा लोक स्वास्थ्य अधिकारी
5.	विधि अधिकारी
6.	योजनाकार अधिकारी
7.	नायब तहसीलदार
8.	पशु चिकित्सा भेषजज्ञ
9.	उप नियंत्रक लेखाकार
10.	अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा)
11.	सहायक वास्तुकार योजनाकार
12.	कानूनगो
13.	पटवारी।''।

7. निरसन और व्यावृत्तियां.––(1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का 3) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 11) हिमाचल प्रदेश राज्य में नगरपालिका सेवाओं में एकीकरण, भर्ती और शर्तों तथा उनसे संबद्ध अन्य विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था। क्योंकि राज्य में केवल एक नगर निगम नामतः शिमला नगर निगम था इसलिए, नगर निगम के पद राज्य स्तरीय सेवाओं में सम्मिलित नहीं किए गए थे और केवल नगर परिषदों और नगर पंचायतों के पदों को ही राज्य काडर का बनाया गया था। अब धर्मशाला, सोलन, मण्डी और पालमपुर में चार नए नगर निगम गठित किए गए हैं। अतः इन नगर निगमों के पदों को भी राज्य स्तरीय सेवाओं में सम्मिलित किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

चूंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और नगरपालिका सेवाएं अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 11) का अनिवार्यतः संशोधन किया जाना था, अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 17 अगस्त, 2023 को हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का अध्यादेश संख्यांक 3) प्रख्यापित किया और इसे राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में 23 अगस्त, 2023 को प्रकाशित किया गया था। अबः उक्त अध्यादेश को एक नियमित अधिनियमिति के साथ बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

शिमला :

तारीख : ...., 2023

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : ...., 2023

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 15 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL SERVICES (AMENDMENT) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 3.
3. Amendment of section 4.
4. Amendment of section 5.
5. Amendment of section 20.
6. Insertion of SCHEDULE-III and SCHEDULE-IV.
7. Repeal and savings.

BILL NO. 15 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL SERVICES (AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 (Act No. 11 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Services (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force on 23rd day of August, 2023.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-a) There shall be State Level Municipal Corporation Services comprising of the posts in Municipal Corporations, established under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994) and as shown in the Schedule-III of this Act."; and

(b) in sub-section (2), after the word, sign and number "Schedule-I", the words, signs and number "or Schedule-III, as the case may be" shall be inserted.

3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act, in sub-section (3), after the word, sign and number "Schedule-I", the word, sign and number "Schedule-III" shall be inserted.

4. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, in sub section (1), after the word sign and number, "Schedule-II", the words, signs and number "or Schedule-IV, as the case may be" shall be inserted.

5. Amendment of section 20.—In section 20 of the principal Act, for the words, sign and numbers "Schedule-I and II" the words, signs and numbers "Schedule-I, II, III and IV" shall be substituted.

6. Insertion of SCHEDULE-III and SCHEDULE-IV.—In the principal Act, after the SCHEDULE-II, the following SCHEDULES shall be inserted, namely:—

"SCHEDULE-III

[*See* section 3(1-a)]

Sl. No.	Name of Service
1	2

HIMACHAL PRADESH STATE LEVEL MUNICIPAL CORPORATION SERVICES OF—

1. Executive Engineer
2. Assistant Engineer
3. Administrative Officer
4. Superintendent Grade-I
5. Superintendent Grade-II
6. Chief Accountant
7. Chief Sanitary Inspector
8. Private Secretary
9. Personal Assistant
10. Secretary
11. Junior Engineer
12. Draughtsman
13. Senior Assistant
14. Statistical Assistant
15. Accountant
16. Junior Accountant
17. Sanitary Inspector
18. Community Organizer
19. Stenographer
20. Steno Typist
21. Surveyor
22. Sanitary Supervisor
23. Work Supervisor {Redesigned as Technician (Supervisor)}

24. Computer Assistant
25. Driver
26. Meter Reader
27. Meter Mechanic
28. Technical Mechanic
29. Junior Office Assistant (IT)
30. Junior Draughtsman/Assistant Draughtsman
31. Clerk/Junior Assistant
32. Data Entry Operator
33. Ferro Printer
34. Laboratory Technician
35. Technician (Carpenter, Mason, Blacksmith, Electrician, Fitter/Plumber, & Mechanic)
36. Male and Female Health Worker
37. Tailoring Teacher

SCHEDULE-IV
[*See* section 5(1)]

Sl. No.	Name of Service
1	2
1.	Architect Planner
2.	Corporation Health Officer/Health Officer
3.	Town Planner
4.	Veterinary Public Health Officer
5.	Law Officer
6.	Planning Officer
7.	Naib Tehsildar
8.	Veterinary Pharmacist
9.	Deputy Controller Accounts
10.	Section Officer (F&A)
11.	Assistant Architect Planner
12.	Kanungo
13.	Patwari.”.

7. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Municipal Services (Amendment) Ordinance, 2023 (3 of 2023) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 (Act No. 11 of 1994) was enacted for the integration, recruitment and conditions of municipal services in the State of Himachal Pradesh and other matters connected therewith. Since, there was only one Municipal Corporation in the

State namely the Shimla Municipal Corporation, therefore, the posts of Municipal Corporation were not included in the State level services and only the posts of Municipal Councils and the Nagar Panchayats were made the State Cadre. Now, four new Municipal Corporations have been constituted at Dharamshala, Solan, Mandi and Palampur. Therefore, the posts of the Municipal Corporations are also required to be included in the State level services.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 (Act No. 11 of 1994) had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Municipal Services (Amendment) Ordinance, 2023 (Ordinance No. 3 of 2023) on 17th August, 2023 and the same was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 23rd August, 2023. Now, the said ordinance is required to be replaced by a regular enactment without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA :

The…………., 2023

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL SERVICES (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL